

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन, 2-गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015 पार्ट-II/ 780

दिनांक 3.4.2019

-: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (सीधी भर्ती) परीक्षा वर्ष 2012 में सफल अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015/710 दिनांक 16.02.2016 के द्वारा आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है, में से निम्नांकित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु निरीक्षको द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने एवं परिवीक्षा अवधि में दौरान इनकी सेवाएं सन्तोषप्रद रहने के कारण इन्हें इनके नाम के आगे अंकित तिथि से आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद की नियमित वेतन श्रृंखला पी0बी0-2(12) 9300- 34800 ग्रेड-पे 3600, In the Pay Matrix, Level-10 में प्रारम्भिक वेतन रूपया 33800/- (रूपया तेतीस हजार आठ सौ मात्र) एवं नियमानुसार देय भते भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती हैं :-

क्र. सं.	नाम परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी	जन्म तिथि	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद पर कार्यरत करने की तिथि	दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि	विशेष विवरण CI के पद की नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन भुगतान करने की तिथि
1.	श्री राकेश खत्री पुत्र श्री रघुमल खत्री,	21.11.1984	बाडमेर	जैसलमेर	22.02.2016	21.02.2018	04.05.2017	22.02.2018
2.	श्री प्रेमराज विश्णोई पुत्र श्री सोहन लाल	26.02.1973	बीकानेर	बीकानेर ग्रामीण	24.02.2016	23.02.2018	04.05.2017	24.02.2018
3.	श्री मांगी लाल पुत्र श्री बालु राम	13.07.1977	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	23.02.2016	22.02.2018	04.05.2017	23.02.2018
4.	श्रीमती सीमा कांवल पुत्री श्री रतन लाल	04.03.1990	सीकर	फतेहपुर (सीकर)	22.02.2016	21.02.2018	04.05.2017	22.02.2018

उपरोक्त निरीक्षको में से जो कार्मिक आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिये जाने के पूर्व से राज्य सेवा में रहे हैं, के संदर्भ में वेतन निर्धारण की कार्यवाही इनके नियुक्ति आदेश दिनांक 16.02.2016 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत सम्बन्धित सेवा नियमों में किये गये प्रावधान अनुसार किया जावेगा।

(सोमनाथ मिश्रा)  
आबकारी आयुक्त  
राजस्थान उदयपुर  
दिनांक 3.4.2019

क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015 पार्ट-II/ 780

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त/अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल राजस्थान, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन,
4. जिला आबकारी अधिकारी,
5. सिस्टम एनालिस्ट, आबकारी विभाग, राजस्थान उदयपुर।
6. निजी सचिव, आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर।
7. सम्बन्धित सुश्री/श्रीमती/श्री.....आबकारी निरीक्षक द्वारा जिला आबकारी अधिकारी.....।
8. प्रभारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग प्रधान कार्यालय, उदयपुर।
9. व्यक्तिगत पत्रावली श्री.....।
10. गार्ड पत्रावली।

(प्रज्ञा केवलरमानी)  
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त  
(प्रशासन) राजस्थान उदयपुर